# Detailed Violation Report

दिनांक 28.07.2020 को साहूवाला से कर्मगढ़ रोड़ की हलका वन रक्षक द्वारा गस्त की गई। गस्त के दौरान पाया गया कि इस सड़क के साथ गांव कर्मगढ़ में बाएं साईड में कि0मी0 1–2 के बीच में मै0 बंसल इन्डस्ट्री के लिए आवागमन हेतू सुरक्षित वन भूमि में रास्ता बनाकर वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसके लिये फर्म मालिक श्री मनोज बंसल सुपुत्र श्री पवन बंसल द्वारा वन विभाग से कोई अन्नापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि श्री मनोज बंसल सुपुत्र श्री पवन बंसल ने मै0 बंसल इन्डस्ट्री बनाकर भारतीय वन अधिनियम 1927 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना करके यह रास्ता बनाया है। इस उल्लंघना के लिये मै0 बंसल इन्डस्ट्री के मालिक श्री मनोज बंसल सुपुत्र श्री पवन बंसल मै0 बंसल इन्डस्ट्री गांव कर्मगढ़ तहसील कालांवाली, जिला सिरसा के खिलाफ वन अपराध रिपोर्ट नं0 084/0890 दिनांक 28.07.2020 चाक कर दी गई है परन्तु प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा मुआवजा राशि जमा नहीं करवाई गई है। प्रयोक्ता एजैंसी को इस रास्ते की मंजूरी हेतू एफ0सी0ए0–1980 के तहत प्रस्ताव बनाकर वन मण्डल कार्यालय, सिरसा में देने हेतू कहा गया जो कि प्रयोक्ता एजैंसी ने एफ0सी0ए0 का प्रस्ताव मंजूरी हेतू मण्डल कार्यालय में पहले ही प्रस्तुत किया हुआ है। इस केस की स्वीकृति हेतू जनहित को ध्यान में रखते हुए पैनल सी0ए0 सहित स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

Jitender Ahlawat I.F.S.
Dy. Conservator of Forests
SIRSA